न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 80/2020

जगदीप सिह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिह जाति जट सिख निवासी 5 एच बडा तहसील व जिला श्रीगगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति अभिभाषक ::–

1.	श्री राजेश गुम्बर	– – प्रार्थी
2.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी 1

– :: निर्णय ::– दिनांक :–12.01.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 5 एच बडा तहसील व जिला श्री गगानगर पुराना खाता सख्या 21/21 के मुरबा न0 17 का किला न0 13 में 0.253 है। नहरी रकबा प्रार्थी के पिता स्व0 जोगेन्द्र सिह पुत्र श्री किशन सिंह द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 24.04.2006 को खरीद किया हुआ है जिसका बैयनामा श्री मान उप पंजीयक श्री गगानगर द्वारा के कार्यालय में दि0 25.04.2006 को क्रम स0371 पर विधिवत रूप से पंजीबद्ध हैं। उक्त कषि भूमि सुखमन्द्र सिंह के वारिसान द्वारा बेचान की गई थी । बैयनामा की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है। पुराना खाता स0 21/21 जो वर्तमान में खाता सख्या 56/53 है की समस्त कृषि भूमि सुखमन्द्र सिह के वारिसान के नाम से खातेदारी दर्ज थी । उस कृषि भूमि मे से मुझ प्रार्थी के पिता जोगेन्द्र सिह को मुरबा न0 17 का किला न० 13 में 0.253 है। कृषि भूमि बेचान की थी । बेचान कृषि भूमि चक 5 एच बड़ा मुरबा न0 17 का किला न0 13 में 0.253 है0 मुझ प्रार्थी के पिता के नाम से अलग खाता कायम किया जाना था । परन्तु लिपिकीय त्रुटि से उक्त कृषि भूमि मुशतर्का खाता में दर्ज हो गई जो आज तक मुशतर्का खाता मे दर्ज चली आ रही है। वर्तमान में कृषि प्रार्थी के नाम से मुशतर्का खाता में खाता सख्या 56/53 में दर्ज है। प्रार्थी को लगान आदि अदा करने पानी की बारी जारी करवाने में अनेको प्रकार की कठिनाई का सामना करना पडता है एवम कानून रूप से भी दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। चक 5 एच बडा तहसील व जिला श्री गगानगर के मुरबा न0 17 का किला न0 13 में 0.253 है। नहरी का प्रार्थी के नाम से दुरूस्ती की जाकर अलग खाता कायम किया जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दुरूस्ती करवाने के सम्बन्ध में अप्रार्थी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु आज तक अप्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 5 एच बडा तहसील व जिला श्री

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

गंगानगर के मुरबा न0 17 का किला न0 13 में 0.253 हैक. नहरी भूमि की दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी के नाम से अलग खाता कायम किये जाने के आदेश तहसीलदार श्री गंगानगर के नाम से फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार चक 5 एच बडा के खाता संख्या 56/53 में मु.नं. 17 के लि नं 13 रकबा 0.253 हैक किस्म नहरी खोदार जगदीप सिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 5 एच बडा के नाम से अलग खाता किया जाना उचित है।

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम का नाम 5 एच बडा, पटवार हल्का रोहिडावाली, भू.अ.नि.क्षे. शिवपुर खाता संख्या 56/53, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 25.04.2006 की प्रति पेश की। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 एच बडा के खाता संख्या 56/53 में मु.नं. 17 के लि नं 13 रकबा 0.253 हैक किस्म नहरी खोदार जगदीप सिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 5 एच बडा के नाम से अलग खाता किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner